उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या-13/388(2)/92-2014-19आरई/2008

लखनऊ दिनांक 15 मई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के लिये श्री ए0पी0 राय, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3030/62-3-2008-19आरई/2008, दिनांक 25-6-2008 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र दिनांक 13-11-2008 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का अभिमत/आख्या निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 22-1-2014 द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित दोनो आरोप स्थापित न पाते हुए जांच अधिकारी की जांच आख्या पर सहमति प्रदान की गयी।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/अभिमत एवं समस्त सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री ए0पी0 राय, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दोनों आरोप स्थापित होना नहीं पाया गया है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री ए0पी0 राय, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अधिरोपि आरोप स्थापित/प्रमाणित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3030/62-3-2008-19आरई/2008, दिनांक 25-6-2008 द्वारा श्री राय के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार सिंह

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/388(3)/92-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री ए0पी0 राय, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in